

केंद्रीय कर वितरण में अंतरराज्यीय भिन्नता

प्रलिस के लयः

15वाँ वतित आयोग, केंद्रीय कर वतऱरण, कषैतजऱ सडानता, संवधऱन का अनुकषेद 280

डेनुस के लयः

राज्यों के डीक कर वतऱरण, 15वाँ वतित आयोग की सफऱरशऱँ

कऱकड डें कयों?


आलोककों का तऱक है कऱ **15वाँ वतित आयोग** का कर वतऱरण फॉरडूला/सूतर कुक राज्यों के डकष डें है, जसऱके डरणऱडसवरूडव्याडक अंतरराज्यीय डनऱनता की स्थतऱडऱडेखी जाती है ।

तडलऱनडडु दवारा केंदऱर को दयऱ गऱ डऱरतुडेक ँक डुडऱ हेतु केवल 29 डैसे वडडस डलऱते हैं, जबकऱ उतुतर डऱरदेश को 2.73 डुडऱ ँर डऱरऱर को 7.06 डुडऱ वडडस डलऱते हैं ।

राज्यों के डीक करों के वतऱरण की वधऱः

- डऱरकऱडः
 - केंदऱर राज्यों से कर ँकतऱर करता है ँर उनहें वतित आडोग (XVFC) के फारडूले के आधऱर डऱर वतऱरतऱ करता है ।
- XVFC फॉरडूलाः
 - XVFC फॉरडूला डऱरतुडेक राज्य की आवशुडकताओं (जनसंखुडडऱ, कषेतर, वन ँर डऱरसऱथतऱकऱडऱ), इकवतऱडऱ (डऱरतऱ वुडकतऱ आड अंतर) ँर डऱरदऱरशन (सुवरुड का कर राजसुवर ँर कड डऱरजनन दर) डऱर आधऱरतऱ है ।
- डऱरः
 - आवशुडकताओं को 40%, इकवतऱडऱ को 45% ँर डऱरदऱरशन को 15% वेतेज दऱडऱ जाता है ।
 - XVFC ने डऱरजनन सुतर को कड करने वाले राज्यों को डुरसुकृत करने के लडऱ डऱरजनन दर कऱक की शुरुआत की कतुऱ इकवतऱडऱ ँर आवशुडकताओं की तुलनऱ डें इसका डऱर कड है ।
- तऱरकः
 - आलोककों का तऱरक है कऱ **डऱर फॉरडूला कुक उतुतरी राज्यों के डकष डें है**, कडुडकऱ इस फॉरडूले डें जनसंखुडडऱ को अधकऱ डऱरतुडुव दडऱडऱ जाता है ।
 - वतित आडोगों डें दकषणऱडऱ राज्यों की हसऱसेदऱरी डें लगऱतऱर गरऱवड आऱई है ।
 - कुक लुगुओं का तऱरक है कऱ स्थऱनऱंतरण राज्य को सेवऱओं के तुलनीय सुतर डऱरदऱन करने ँर कषैतजऱ इकवतऱडऱ सुनशऱकतऱ करने डें सकषड डनऱतऱ है ।
 - हऱलुडकऱ अनुड का तऱरक है कऱ सुतर का कऱसी राज्य की दकषतऱ ँर डऱरगतऱडऱर डऱरतऱकऱल डऱरडऱव नऱई डडुनऱ कऱहडऱडऱ ।

The amount in ₹ each State got for every rupee they contributed to Central taxes in 2021-22



//

15वाँ वित्त आयोग:

- परचय:
 - वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, जो केंद्र एवं राज्यों के बीच तथा राज्यों के मध्य संवैधानिक व्यवस्था और वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप कर से प्राप्त आय के वितरण के लिये विधिवि सूत्र निर्धारित करता है।
- संवैधानिकता:
 - संवैधानिक अनुच्छेद 280 के तहत भारत के राष्ट्रपति के लिये प्रत्येक पाँच वर्ष या उससे पहले वित्त आयोग का गठन करना आवश्यक है।
- 15वाँ वित्त आयोग:
 - 15वें वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नवंबर 2017 में एन.के. सहि की अध्यक्षता में किया गया था।
 - इसकी सफारिशें वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक पाँच वर्ष की अवधि के लिये मान्य होंगी।
 - सरकार ने वर्ष 2021-22 से शुरू होने वाली पाँच वर्ष की अवधि के लिये करों के विभाज्य पूल में राज्यों की हिस्सेदारी को 41% तक बनाए रखने हेतु 15वें वित्त आयोग की सफारिश को स्वीकार कर लिया।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्षों के प्रश्न

प्रश्न. भारत के 14वें वित्त आयोग की संसत्तुतियों ने राज्यों को अपनी राजकोषीय स्थिति में सुधार करने में कैसे सक्षम किया है? (2021)

स्रोत: द हिंदू

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/inter-state-variations-in-central-tax-distribution>

